ई0पत्रावली संख्या–48201/2023

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक, नवम्बर, 2025

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–1580/2021 मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सालावाला (हाथी बडकला) के खाले में सर्वे झील से सालावाला पुल तक बैंड का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में धनराशि आंवटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–454/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–01(मांग)/कैम्प, दिनांक 23.06.2025 एवं पत्र संख्या–703/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–01(मांग)/कैम्प, दिनांक 19.09.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–1580/2021 मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सालावाला (हाथी बडकला) के खाले में सर्वे झील से सालावाला पुल तक बैंड का निर्माण कार्य के क्रियान्वयन/पूर्ति हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 52.85 लाख के सापेक्ष मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–।/102076/2023, दिनांक 27.02.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 31.71 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू0 21.14 (रू0 इक्कीस लाख चौदह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू0 21.14 (रू0 इक्कीस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–102076/2023, दिनांक 27.02.2023 में उल्लिखित शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ii) कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(iii) योजना की गुणवत्ता एवं मितव्ययता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

(iv) योजना की अन्तिम किश्त का भुगतान कार्य की गुणवत्ता के Third Party Audit कराये जाने के उपरान्त ही किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता उत्तरदायीं होगें। सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(v) बाढ़ संबंधी कार्यो की स्वीकृतियॉ आपदा विभाग के स्तर से होने के दृष्टिगत योजनाओं की स्वीकृति में पुर्नावृत्ति/दोहराव न होने के पुष्टि भी अवश्य कर ली जाये। यदि किसी योजना की स्वीकृति आपदा विभाग से हो जाती है तो स्वीकृत योजना की धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग का होगा।

(vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा कराये जा रहे कार्यों की Geo Tagging करायी जाय।

(vii) किसी भी दशा में योजना की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। योजना जिन दरों पर गठित की गयी हैं, उन्ही दरों पर योजना को गुणवत्ता एवं मितव्ययता का विशेष ध्यान रखते हुए उक्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

(viii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(ix) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

(x) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(xi) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xiv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xv) शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xvi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(xvii) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जाये। स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय अर्थात् Parking of Fund नहीं किया जायेगा।

(xviii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xix) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–07–मानसून अवधि में बाढ़ सुरक्षा कार्यों का सम्पादन/क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण– 53–वृहत निर्माण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 की कम्प्यूटरजनित संख्या–।/342758/2025, दिनांक 06 नवम्बर, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–Allotment ID.

भवदीय,

Digitally signed by YUGAL KISHORE PANT
Date: 13-11-2025 16:13:42

(युगल किशोर पन्त)
सचिव।

ई0पत्रावली संख्या–48201/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

Digitally signed by Jai Lal Sharma
Date: 13-11-2025 17:40:29

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।